भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्याय 3847

16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

एएवाई के तहत लाभार्थी

3847. श्री जी. सेल्वम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के चयन हेतु अपनाए गए मानदंडों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एएवाई के तहत इसके कार्यान्वयन के समय से लक्षित और वास्तविक लाभार्थियों की तमिलनाडु सहित राज्यवार और आज की तारीख में वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु से एएवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्तश हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्याय कदम उठाए गए हैं

उत्तहर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यक मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्योंत/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान निम्नालिखित मानदंडों के अनुसार की जानी अपेक्षित है:-

(i) भूमि ¦ हीन खेतिहर मजदूर सीमांत किसान, ग्रामीण दस्तकार/शिल्पकार जैसे कुम्हा र, टैनर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी -झोपड़ी में रहने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर आजीविका अर्जित करने वाले व्यहक्ति जैसे हमाल, कुली, रिक्शाे चालक हाथठेला चालक, फल और फूल विक्रेता , संपेरे, कबाड़ी, मोची, निराश्रित व्यडक्ति और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसी प्रकार की अन्य श्रेणियां

(ii) वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोग ग्रस्ता व्येक्ति/दिव्यां ग व्याक्ति/60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यपक्ति जिनकी आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें सामाजिक सहायता प्राप्तय नहीं है।

(ii) विधवाएं अथवा असाध्यि रोग ग्रस्तु व्याक्ति अथवा दिव्यांग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा अकेली महिला अथवा अकेला पुरूष जिनका कोई परिवार नहीं है अथवा जिन्हें् कोई सामाजिक सहायता प्राप्ति नहीं है या जिनकी आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है

(iv) सभी आदिम जनजातीय परिवार।

(v) एचआईवी पॉजिटिव व्यीक्तियों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी पात्र परिवार।

जारी.......2/-

(ख): सभी राज्योंव/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों में से पहचान किए जाने वाले एक करोड़ परिवारों के लिए माह दिसम्बोर , 2000 से अंत्योादय अन्ने योजना (एएवाई) प्रारंभ की गई थी। तब से इस स्कीोम के अंतर्गत कवरेज को 3 बार अर्थात वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान बढ़ाया गया था और प्रत्येवक बार 50 लाख अतिरिक्तय परिवारों को शामिल किया गया था। इस प्रकार, अंत्यो दय अन्न् योजना के अंतर्गत कुल कवरेज बढ़ाकर 2.50 करोड़ अंत्यो दय अन्न योजना परिवार किया गया था। प्रत्येगक राज्य्/संघ राज्यत क्षेत्र को आबंटित अंत्योपदय अन्न योजना परिवारों के लक्ष्य में से अंत्योगदय अन्न् योजना परिवारों की पहचान की जिम्मौदारी संबंधित राज्य /संघ राज्यर क्षेत्र सरकार की है। लक्षित 2.50 करोड़ अंत्योादय अन्नज योजना परिवारों में से राज्य /संघ राज्यक क्षेत्र सरकारों ने 2.38 करोड़ अंत्यो.दय अन्नर योजना परिवारों की पहचान करने की सूचना दी है। लक्षित और वास्त विक लाभार्थियों की तमिलनाडु सहित राज्यव/संघराज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): अंत्योादय अन्ना योजना के तहत कवर किए गए परिवारों की संख्या् बढ़ाने के लिए 2018 में तमिलनाडु राज्यै सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्योंब/संघ राज्या क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे एएवाई परिवारों की मौजूदा सूची की समीक्षा करें और अपात्र परिवारों को सूची से हटाएं, ताकि केवल सर्वाधिक पात्र परिवारों को ही शामिल किया जा सके।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3847 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत दिनांक 10.07.2019 की स्थिति के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कवर किए गए परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(लाख में)

क्रम सं.	राज्य	एएवाई के तहत कवरेज	पहचान किए गए एएवाई परिवार
1	Andhra Pd आंध्र प्रदेश	9.586	9.09
2	Arunachal Pd अरुणाचल प्रदेश	0.380	0.37
3	Assam असम	7.040	7.03
4	Bihar बिहार	25.010	25.01
5	Chattisgarh छत्तीसगढ	7.189	7.19
6	Delhi दिल्ली	1.568	0.76
7	Goa गोवा	0.184	0.13
8	Gujarat गुजरात	8.128	8.12
9	Haryana हरियाणा	3.025	2.68
10	Himachal Pd हिमाचल प्रदेश	1.971	1.82
11	J & K जम्मू और कश्मीर	2.822	2.36
12	Jharkhand झारखंड	9.179	9.17
13	Karnataka कर्नाटक	11.997	10.97
14	Kerala केरल	5.958	5.96
15	Madhya Pd मध्य प्रदेश	15.816	13.98
16	Maharashtra महाराष्ट्र	25.053	25.05
17	Manipur मणिपुर	0.636	0.64
18	Meghalaya मेघालय	0.702	0.70
19	Mizoram मिजोरम	0.261	0.26
20	Nagaland नागालैंड	0.475	0.48
21	Odisha ओडिशा	12.645	12.40
22	Punjab पंजाब	1.794	1.79
23	Rajasthan राजस्थान	9.321	9.32
24	Sikkim सिक्किम	0.165	0.17
25	Tamil Nadu तमिलनाडु	18.646	17.17
26	Telangana तेलंगाना	5.992	5.67
27	Tripura त्रिपुरा	1.131	1.10
28	Uttar Pd उत्तर प्रदेश	40.945	40.94
29	Uttarakhand उत्तराखंड	1.909	1.84
30	West Bengal पश्चिॅम बंगाल	19.857	15.86
31	A & N अण्डमान और निकोबार	0.107	0.04
32	Daman & Diu दमन और दीव	0.015	0.01
33	D&N Haveli दादरा और नगर हवेली	0.069	0.04
34	Lakshdweep लक्ष्यद्वीप	0.012	0.01
35	Chandigarh चंडीगढ	0.088	0.00
36	Puducherry पुद्दुचेरी	0.322	0.26
	योग	**249.998**	**238.35**

*****